न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली

पीठासीन अधिकारी : डॉ. बजरंग सिंह, आर.ए.एस.

पंचायत निगरानी संख्या : 108 / 2025

जीसीएमएस नम्बर : 2025 / 189

प्रार्थी:–	बनाम	अप्रार्थीगण :–
विकास अधिकारी पंचायत समिति, रानी स्टेशन।		1. मानाराम पुत्र भानाजी चौधरी, जाति सिरवी निवासी सांवलता। 2. सरपंच, ग्राम पंचायत सावंलता।

"पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994"

उपस्थिति :–

1. प्रार्थी स्वयं उपस्थित।
2. अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री चन्द्रप्रकाश वैष्णव।

–: निर्णय :–

दिनांक : 30/10/2025

प्रार्थी ने यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 के तहत ग्राम पंचायत सावंलता द्वारा संकल्प संख्या 15(iv) दिनांक 05. 08.2009 एवं उसकी पालना में जारी पट्टा संख्या 05 के विरूद्ध पेश की है। निगरानी दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया तथा ग्राम पंचायत का रेकर्ड तलब किया गया। उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

प्रार्थी ने दौराने बहस निगरानी मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि ग्राम पंचायत ने अप्रार्थी के पिता को आबादी भूमि से भिन्न खसरा संख्या 395 गैर मुमकिन गोचर की भूमि का जैर निगरानी पट्टा जारी किया है। प्रश्नगत पट्टे की चतुष्फलकीय दिशा व माप मौके की स्थिति से मिलान नहीं करते है। तहसीलदार, रानी, भू.अ.नि देवली पाबूजी एवं पटवारी हल्का सावंलता की रिपोर्ट के अनुसार भी खसरा संख्या 395 किस्म गै.मु.गोचर है जिस पर अप्रार्थी ने पक्का मकान बनाकर कब्जा कर रखा है। ग्राम पंचायत को केवल आबादी भूमि में ही पट्टा जारी करने का अधिकार है। ग्राम पंचायत ने पंचायतीराज नियमों से परे जाकर जैर निगरानी पट्टा जारी किया है, जिसे खारिज फरमावे।

अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 ने दौराने बहस कथन किया कि प्रार्थी का उक्त निगरानी में मुख्य आधार यह है कि पट्टे की भूमि गोचर है जबकि पट्टा जारी करते समय भूमि की किस्म गै.मु.लाटा तथा पायथन भूमि थी। प्रश्नगत पट्टा आबादी भूमि में जारी किया गया है तथा सेटलमेन्ट के दौरान भूमि की किस्म परिवर्तित हो गयी थी। पट्टाधारक तत्समय् लघु सीमान्त काश्तकारक थे और उसी अनुरूप पंचायती राज नियमों के प्रावधानों के तहत जैर निगरानी पट्टा जारी किया गया। प्रार्थी ने बिना विधिक आधारों के जैर निगरानी याचिका पेश की है, जिसे खारिज फरमावे।

हमने उभयपक्ष अधिवक्ता की श्रवणसुदा बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलबध दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। जैर निगरानी ग्राम पंचायत

अति. जिला कलेक्टर, पाली

सावंलता द्वारा संकल्प संख्या 15(iv) दिनांक 05.08.2009 एवं उसकी पालना में जारी पट्टा संख्या 05 के विरूद्ध पेश की है। निगरानी के विरूद्ध अधिवक्ता अप्रार्थी का मुख्य उज्र यह था कि "हस्तगत प्रकरण में जैर निगरानी पट्टा गोचर भूमि में जारी नहीं होकर आबादी भूमि में जारी किया गया है, सेटलमेन्ट के पश्चात् उक्त भूमि गोचर दर्ज कर दी गयी। हस्तगत प्रकरण की पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा किसी भी रूप में यह जांच नहीं की कि उक्त भूमि गोचर है या आबादी ? इस तथ्य के निर्धारण हेतु ग्राम पंचायत को पटवारी से रिपोर्ट प्राप्त की जानी थी तथा इसके अतिरिक्त पंचायती राज नियमों के तहत स्वयं भी जांच करवानी थी, जो नहीं करवाई गई, जिसके अभाव में यह ज्ञात नही किया जा सकता है कि आवंटी का पट्टा किस खसरा नम्बर की भूमि में या किस स्थान पर जारी किया गया है। अधिवक्ता अप्रार्थी ने अपने कथनों की ताईद में कोई भी साक्ष्य/दस्तावेज पेश नहीं किये है। न्यायिक प्रक्रिया में केवल कथन करना पर्याप्त नहीं होता, बल्कि उसे प्रमाणित करना आवश्यक होता है। यदि प्रमाण प्रस्तुत नहीं किये जाते तो कथन केवल आरोप या दावे के समान होते हैं जिनका कोई ठोस समर्थन नहीं होता इसलिये न्यायालय ऐसे कथनों को स्वीकार नहीं करता। सम्बन्धित अधिवक्ता का यह दायित्व होता है कि वह अपने कथनों को प्रमाणित करे, बिना उचित सबूत के केवल कथना करना स्वीकार्य नहीं। इस प्रकार अप्रार्थी अधिवक्ता द्वारा उठाया गया उज्र पोषणीय नहीं है।

हस्तगत प्रकरण में जैर आराजी के सम्बन्ध में पटवारी सावंलता द्वारा दिनांक 25.05.2025 को प्रस्तुत टी.पी. रिपोर्ट के अनुसार अप्रार्थी संख्या 1 के द्वारा खसरा संख्या 395 रकबा 0.0100 किस्म गै.मु.गोचर की भूमि पर चारदीवारी बाड़ा बनकार अतिक्रमण किया हुआ है। साथ ही ग्राम सावंलता की खसरा परिवर्तित निर्धारण (पी–14) के अनुसार भी खसरा संख्या 395 में अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा 0.0100 हैक्टैयर रकबे पर चारदीवारी बाड़ा है। अतः यह प्रमाणित तथ्य है कि ग्राम पंचायत ने आबादी भूमि से परे गोचर भूमि पर प्रश्नगत पट्टा जारी किया है। इस सम्बन्ध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त 1999 3 RLW(Raj) 1478 Narayan Lal Versus State & Ors. अनुसार – Rajasthan Panchayati Raj Act, 1994, Sec. 97 and Panchayat General Rules, 1961 – Revision by Collector of the order passed by Panchayat – Cancellation of patta granted by Panchayat – ``Can Panchayat sell public land? – The land which is neither Abadi land nor it belong to panchayat – Panchayat has no right or authority to sell the public land to any one. इसके अतिरिक्त जहां तक ग्राम पंचायत को पट्टे जारी करने की अधिकारिता का प्रश्न है, तो यह सुस्पष्ट है कि ग्राम पंचायत आबादी भूमि में ही पट्टे जारी करने की अधिकारिता रखती है, आबादी के अतिरिक्त अन्य भूमि पर ग्राम पंचायत पट्टे जारी किये जाने हेतु अधिकृत नहीं है। ग्राम पंचायत को गोचर भूमि के विकास और संरक्षण की जिम्मेदारी दी गई है तथा गोचर भूमि का उपयोग केवल पशुचारण के लिए किया जा सकता है और इसे किसी अन्य उद्देश्य के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता। गोचर भूमि को अन्य निजी उपयोग के लिए पट्टे पर देना प्रतिबंधित है। माननीय न्यायालय ने अपने विभिन्न निर्णयों में यह स्पष्ट किया कि गोचर भूमि के निजीकरण पर रोक लगाते हुए कहा कि ऐसी भूमि का

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राज.)

अति. जिला कलेक्टर, पाली

उपयोग केवल सार्वजनिक हित में ही किया जा सकता है, न कि व्यक्तिगत लाभ के लिए। जैर आराजी की किस्म गै.मु.गोचर है जो कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 के अन्तर्गत आवंटन/नियमन से प्रतिबंधित भूमि है। ग्राम पंचायत ने अपने अधिकार क्षेत्र से परे जाकर गोचर की भूमि का प्रश्नगत पट्टा जारी किया है, जो नियमों के अनुसार अमान्य है।

परिणामस्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी याचिका स्वीकार की जाती है तथा ग्राम पंचायत सावंलता द्वारा संकल्प संख्या 15(iv) दिनांक 05.08.2009 एवं उसकी पालना में जारी पट्टा संख्या 05 को अपास्त किया जाता है। हस्तगत प्रकरण में पारित निर्णय माननीय उच्च न्यायालय द्वारा एस.बी.सिविल रिट संख्या 15257/2025 में पारित आदेश दिनांक 12.08.2025 के अध्यधीन रहेगा। निर्णय की सत्य प्रतिलिपि के साथ ग्राम पंचायत का अभिलेख लौटाया जावे।

निर्णय आज दिनांक 30|10|2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राज.)

(डॉ. बजरंग सिंह)
अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
अति. जिला कलेक्टर, पाली